"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 93] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 मार्च 2010—चैत्र 5, शक 1932

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 26 मार्च, 2010 (चैत्र 5, 1932)

क्रमांक-161/वि. स./विधान/2010.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 16 सन् 2010), जो दिनांक 26 मार्च, 2010 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 16 सन् 2010)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2010

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहलायेगा.

(2) यह 1 नवम्बर, 2000 से प्रवृत्त होगा.

धारा 6-क (1) का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 6-क (1) के द्वितीय परंतुक में शब्द "विधान सभा के विघटन के कारण" के पश्चात् शब्द "अथवा त्यागपत्र के कारण" अंत:स्थापित किया जाये.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ विधान सभा के माननीय पूर्व सदस्यों के पेंशन संबंधी सुविधाओं को अधिक युक्तियुक्त पूर्ण करने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव है कि छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 6-क (1) के द्वितीय परन्तुक में यथोचित रूप से संशोधन किया जाये.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

तारीख 25 मार्च, 2010

बृजमोहन अग्रवाल
संसदीय कार्य मंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक के खण्ड 2 में प्रस्तावित प्रावधान किये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन पर प्रतिवर्ष अनुमानित रुपये 2,70,000.00 (रुपये दो लाख सत्तर हजार) केवल का आवर्ती वित्तीय भार आयेगा.

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

उपाबंध

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 6-क (1) के द्वितीय परन्तुक का सुसंगत उद्धरण—

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 6-क (1) का द्वितीय परन्तुक	परन्तु यह और भी कि जहां कोई सदस्य विधान सभा के विघटन के कारण पांच वर्ष के लिए सदस्य के रूप में कार्य करने से निवारित रहा हो या जहां कोई सदस्य उप-निर्वाचन में (या लोकसभा/राज्यसभा का सदस्य) निर्वाचित होने के कारण पांच वर्ष तक कार्य नहीं कर सका हो, वहां उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि उसने पांच वर्ष की कालावधि तक सदस्य के रूप में कार्य किया है किन्तु यह धारणा उपबन्ध (डिमिंग प्राविजन) अतिरिक्त पेंशन उपार्जित करने के प्रयोजन के लिए लागू नहीं होगा.

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा [illegible] नथा प्रकाशित—2010.